बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

6/श्रम वि0आ0–(02)–09/2014 श्र0सं0 ....

निबंधित

सेवा में,

श्री बीरेन्द्र कुमार महतो,
तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी,
उपश्रमायुक्त कार्यालय, पटना,
सम्प्रति सेवा से बर्खास्त।
स्थायी पता– ग्राम+पो0– खिरहर बाजार,
थाना– खिरहर, भाया– बेनीपट्टी, जिला– मधुबनी, बिहार।

दिनांक ....

विषयः– **निलंबन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 23.01.2017, पत्र दिनांक 20.03.2017 एवं पत्र दिनांक 26.04.2017 का कृपया संदर्भ किया जाय जिसमें आपने विभागीय अधिसूचना संख्या 241 दिनांक 09.01.2017 के आलोक में निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 की बाढ़ में राहत सामग्रियों के क्रय एवं वितरण में बरती गई अनियमितता के लिए आपके विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या– 08/2005 दर्ज किये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या 343 दिनांक 03.11.2005 द्वारा आपको निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प संख्या 453 दिनांक 09.02.2007 द्वारा आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इस विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष के रूप में विभागीय संकल्प संख्या 3892 दिनांक 15.10.13 सह–पठित संकल्प संख्या 622 दिनांक 22.02.2014 द्वारा आपके विरूद्ध सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध आपके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 3053/2014 बीरेन्द्र कुमार महतो बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया जिसमें दिनांक 17.11.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 241 दिनांक 09.01.2017 द्वारा आपके विरूद्ध अधिरोपित उक्त दण्ड को रद्द करते हुए दिनांक 15.10.2013 के प्रभाव से निलंबित समझे जाने का प्रावधान किया गया। पूरे मामले पर पुनर्विचार के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1035 दिनांक 27.04.2017 द्वारा आपको दिनांक 15.10.2013 (पूर्व में निर्गत बर्खास्तगी आदेश की तिथि) के प्रभाव से ही पुनः सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय संसूचित किया गया।

आपके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या 241 दिनांक 09.01.2017 के आलोक में समर्पित अभ्यावेदनों की सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि दिनांक 15.10.2013 के पश्चात् आप जीवन निर्वाह भत्ता के अधिकारी नहीं हैं। अतः दिनांक 15.10.2013 के पश्चात् से जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव आपके अभ्यावेदनों को अस्वीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0आ0–(02)–09/2014 श्र0सं0 .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0आ0–(02)–09/2014 श्र0सं0 2510 पटना, दिनांक 19/9/2017

प्रतिलिपिः– श्रमायुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय चारित्री/सभी उप सचिव/अवर सचिव/प्रभारी प्रशाखा–01/लोक सूचना पदाधिकारी/आई0टी0/मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी–06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अमरेन्द्र नारायण मिश्र

सरकार के उप सचिव 18/9/17